सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 29/2019

1. संदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति धानक निवासी 5 ई छोटी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
2. पूर्णराम पुत्र श्री रामचन्द जाति नायक निवासी 1 एम एल कालूवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

<u>–:: बनाम ::–</u>

1. चिमनलाल पुत्र श्री रतीराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एल एन पी कुन्डलावाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
2. रवि पुत्र गुरदेव सिंह } नाबालिगान जरिए कुदरतीवली माता
3. मनजीत कौर पुत्री गुरदेवसिंह } छिन्द्रकौर पत्नी गुरदेव सिंह जाति मजहबी सिख निवासी चक 6 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. सरजीत कौर पत्नी मोठा सिंह जाति मजहबी निवासी 6 एलएन पी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
5. मुन्नीदेवी पत्नी हरिसिंह जाति मजहबीसिख निवासी चक 6एलएन पी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता</u>

– :: उपस्थिति अभिभाषकगण :: –

1. श्री भजन लाल टाक –प्रार्थीगण
2. श्री महेश दादरवाल –अप्रार्थी 1
3. श्री दुलीचंद नायक –अप्रार्थी 2 ता 4

अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध दिनांक 20.09.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 02.12. 2019

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955. की धारा 251 (क) के अन्तर्गत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण राजस्थान के मूल निवासी है तथा काश्तकारी पेशा है प्रार्थीगण कि आजीविका का मुख्य साधन कृषि है जिससे वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 6 एल एन पी के मु.न. 12 के किला नम्बर 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 कुल 8 बीघा नहरी कृषि भूमि है तथा उक्त कृषि के किला नम्बर 7, 14, 17, 24 में सार्वजनकि गऊशाला का निर्माण प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि में किया हुआ है। नकल मौजूदा जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 शामिल प्रार्थना पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 6 एल एन पी सेकण्ड के मु.न. 12 के किला नम्बर 4 व 5 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से है। नकल मौजूदा जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 शामिल प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण को अपने खेत व गऊशाला में आने–जाने के लिए मु.न. 12 के किला नम्बर 4 में से होकर अपने किला नम्बर 7 में प्रवेश करना चाहते है इसके आलावा प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि व गऊशाला में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण सदा इसी रास्ता से अपने खेत में आते–जाते रहे है इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने के लिए अन्य कोई निकट या दूर रास्ता नहीं है जिससे वह अपने खेत में आ जा सके। नकल नजरी नक्शा चक 6 एल एन पी साथ संलग्न प्रार्थना पत्र है। फसल हाड़ी –सावनी के वक्त तथा अन्य दिनों में उपरोक्त चालू मु.न. 12 के किला नम्बर 4 में रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में मंजूर शुद्वा नहीं है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 अन्य तरीके से इस चालू रास्ता में व्यवधान पैदा कर देता है तथा प्रार्थीगण की गऊशाला जो कि सार्वजनिक का निर्माण किया हुआ है पशुओं को भी आने–जाने नहीं देता है। इस कारण इस चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में मंजूर करवाना आवश्यक व जरूरी हो गया है। 6 यह कि प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि मु.न.12 के किला नम्बर 4 जो किला नम्बर 7 के साथ चिपता हुआ है 2 विस्वा चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे मंजूर करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति के ब्यान कर दो ताकि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन हो जावे। पहले तो अप्रार्थी संख्या 1 आजकल–आजकल करता रहा और फिर आज से दस रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगा कि मैं तो इस चालू रास्ता को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

मंजूर नहीं करवाता है और ना ही आपके पक्ष में सहमति के ब्यान करता है आपको जो करना है सो करो बस बिनाए प्रार्थना पत्र है जो कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से हासिल हुआ है। प्रार्थीगण को इस चालू रास्ता को अप्रार्थी संख्याः एक द्वारा बंद करने से असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी । इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे कि वह चालू रास्ता में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे और रास्ता बद नहीं करे। प्रार्थीगण इस रास्ता की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 को डी एल सी की दर की दुगनी राशि अथवा जमीन के बदले चिपती जमीन देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक 6 एल एन पी के मु.न. 12 के किला नम्बर 4 में 2 विस्वा रास्ता मंजूर किया जावे अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत जो प्रार्थीगण के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी–1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2067–2070 प्रार्थीगण के पास वाके चक 6 एलएनपी के मु.नं. 12 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 के कुल रकबा 2.0240 हैक. रकबा में से प्रार्थीगण का 0.674 हैक. रकबा है। जो कि मुश्तर्का खाता है। मुश्तर्का खाता होने के कारण प्रार्थीगण का मात्र हिस्सा दर्ज है। तथा उक्त खाता में शेष खातेदार भी सहखातेदार है। प्रार्थीगण एवं सहखातेदारों के बीच में अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए यह निधार्रित नहीं है कि कोनसा किला प्रार्थीगण को प्राप्त होगा। इसलिए मुश्तर्का खाता होने के कारण सहखातेदारों द्वारा संयुक्त रूप से पेश करना चाहिए था। इसलिए भी प्रा.पत्र खारिज किये जाने योग्य है। 251(ए) के प्रावधानों के अनुसार एक खातेदार को उसकी कृषि भूमि के लिए रास्ता दिया जा सकता है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा जीस भूमि के लिए रास्ता की मांग की जा रही हैउसका उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं किया जाकर अकृषि कार्य के लिए किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि प्रार्थना पत्र के अवलोकन मात्र से ही हो रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने का उपयोग अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 6

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

एलएनपी के मु.नं. 12 के किला नं. 4 में से होकर नहीं करते बल्कि चक 15 एम एल के मु.नं. 26 के किला नं. 3 व 8 में से होकर प्रार्थीगण अपना रकबा में आते जाते हैं। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11.03.2019 से भी होश रही है। जिसको नजरी नक्शा में अस्थायी रास्ता के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए प्रार्थीगण के पास अपने खेत में आने जाने के लिए जब मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो प्रार्थीगण अपनी सुविधा अनुसार मांग नहीं कर सकता। अप्रार्थीगण के रकबा वाके चक 6 एलएनपी के मु.नं. 12 के लिए नं. 4 व 5 में कोई रास्जता नहीं चल रहा है जबकि मौके पर अप्रार्थीगण की फसल काश्तशुदा है। मुरब्बा नम्रब 12 के किला नम्बर 4 में मौके पर कोई रास्ता नहीं चल रहा। जबकि मौके पर वाके चक 15 एमएल के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 3 व 8 में रास्ता चल रहा है। कानूनन मौके पर अगर कोई रास्ता मौके पर चल रहा है तो उसी रकबा के लिए जिस हेतु मांग की गयी है तो उस रकबा के लिए न तो दूसरा रास्ता खोला जा सकता है और ना ही कोई दूसरा रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। मौके पर मु.नं. 12 के किला नं. 4 में कोई रास्ता चल ही नहीं रहा तो उसे बंद करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण का चक 6 एलएनपी के मु.नं. 12 के लिस नम्बर 7, 14, 17, 24 में कोई कब्जा काश्त नही है और ना ही प्रार्थीगण का इस रकबा से कोई सरोकार है। 6 एलएनपी के मु.नं. 12 किला नं. 7, 14, 17, 24 अनुसूचित जाति की भूमि है, स्वर्ण जाति के कुल प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपनी आमदनी से नुमायशी विक्रय पत्र प्रार्थीगण के नाम से करवाया गया है जो स्वर्ण जाति के व्यक्तियों की बेनामी सम्पत्ति है। अगर निष्पक्ष जांच करवायी जावे तो यह पाया जावेगा कि उक्त रकबा जो कि अनुसूचित जाति की भूमि है उस पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा पाया जावेगा। इस लिए प्रार्थीगण की भूमि पर 175 राज. काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही न्यायोचित होगी तथा प्रार्थीगण द्वारा कृर्षि भूमि का उपयोग कृषि कार्य का उपयोग गेर कृषि कार्य के लिए किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थीगण के रकबा पर 177 आर.टी.ए. की कार्यवाही अपेक्षित है। अतः प्रार्थीगणउ के पास रकबा में आने जाने के लिए चक 15 एमएल के मु.नं. 26 के किला नं. 3 वच 8 में वैकल्पिक रास्ता उपलबध होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण का प्रा.पत्र 251(ए)खारिज फरमाया जावे। स्टेट की ओर से कमांक–राजस्व/199/320 दिनांक 11.03.2019 रिपोर्ट पेश हुई।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अपने जाने के लिए रास्ते का अभाव है और प्रार्थी को आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत चक 6 एल.एन.पी के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 4 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.01.01 15:08:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: